227

उत्तराखण्ड शासन
आवास विभाग,
संख्या–837/v–2–2016–127(आ0)/15–टी0सी0
देहरादून दिनांकः 03 जून, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–5 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के विनियमित क्षेत्रों हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) प्रख्यापित किए जाने की स्वीकृति अधिसूचना संख्या–2015/V/आ0–2015– 55(आ0)/2006–टीसी, दिनांक 08.12.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– उक्त के कम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार भारत सरकार के Ease of Doing Business कार्यक्रम के तहत मानचित्र स्वीकृति का सरलीकरण, वास्तुविद, अभियंता के पंजीकरण की व्यवस्था, तृतीय पक्ष के द्वारा निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कराने, पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अधिकृत करने एवं मानचित्र स्वीकृति से पूर्व संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित संलग्न प्राविधानानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2012 (संशोधन–2015) में संशोधनों को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति प्रदान की जाती है।

संलग्नः यथोक्त।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या–837/ v–2–2016–127(आ0)/15–टी0सी0–तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड ।
(2) निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
(3) समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड को Ease of Doing Business कार्यक्रम के तहत कतिपय व्यवस्था भवन उपविधि में करने हेतु संलग्न भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम की प्रति सहित प्रेषित।
(4) प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
(5) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना हेतु संलग्न भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
(6) मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
(7) गार्डबुक/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्नकः यथोक्त ।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव ।